27 अप्रैल 2009

भारत में पूर्वदत्त भुगतान लिखतें जारी करना और उसे परिचालित करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2005

भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि पूर्वदत्त भुगतान लिखतें जारी करना और उसका परिचालन विनियमित कर सकने और जनहित में ऐसा करना आवश्यक होने के कारण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उन्हें प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत में पूर्वदत्त लिखतों को जारी करने और परिचालित करने के विनियमन से संबंधित नीति निर्धारित करता है और प्रत्येक प्रणाली प्रदानकर्ता, प्रणाली सहभागी और अन्य ऐसे कई व्यक्तियों, जो पूर्वदत्त भुगतान लिखतों को जारी करने का प्रस्ताव रखते हैं, उनके लिए यहां दिये गये अनुबंध में विनिर्दिष्ट निदेश देता है।

(जी. पद्मनाभन)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध

भारत में पूर्वदत्त भुगतान लिखतें जारी करने और
उनके परिचालन के लिए नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धान्त

क. प्रयोजन

देश में पूर्वदत्त भुगतान लिखतें जारी करने में निहित भुगतान प्रणालियों को परिचालित करनेवाले व्यक्तियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए ढ़ांचा प्रदान करना और विवेकपूर्ण तथा ग्राहक के लिए सुविधाजनक तरीके से भुगतान और प्रणाली के इस खंड का विकास सुनिश्चित करता। इन मार्गदर्शी सिद्धांन्तों के प्रयोजन हेतु व्यक्तियों से अर्थ है ऐसी 'इकाइयां' जिन्हें पूर्वदत्त भुगतान लिखतें जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया हों और ऐसी 'इकाइयां' जो पूर्वदत्त भुगतान लिखतें जारी करने के लिए प्रस्ताव रखती हों।

ख. दायरा

ये मार्गदर्शी सिद्धान्त देश में पूर्वदत्त भुगतान लिखतें जारी करने में निहित भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए पात्रता मानदंड और आधार शर्तें निर्धारित करते हैं। भारत में पूर्वदत्त भुगतान लिखतें जारी करने में निहित भुगतान प्रणालियों को परिचालित करनेवाले सभी व्यक्ति इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करें।

ऐसे सभी व्यक्ति जो पूर्वदत्त भुगतान प्रणालियों के जारी करने में निहित भुगतान प्रणालियों को परिचालित करने के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं, वे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम,2007 के अंतर्गत भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राधिकरण प्राप्त करें।

ग. रूपरेखा

1. परिचय
2. परिभाषाएं
3. पात्रता
4. छूट
5. पूंजीगत आवश्यकताएं
6. धन शोधन (केवाइसी/एएमएल/सीएफटी) के विरुद्ध रक्षोपाय के प्रावधान
7. संग्रहित धन का नियोजन
8. पूर्वदत्त भुगतान लिखतें जारी करना और पुन:स्थापित करना
9. वैधता
10. प्रतिदान (मोचन)

11. धोखाधाड़ियां रोकना और सुरक्षा मानक
12. ग्राहक संरक्षण मामला

1. परिचय

1.1 बैंक और गैर बैंक इकाइयां देश में पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारी करते आ रहे हैं। अब तक पूर्वदत्त भुगतान प्रणाली लिखत जारी करने का प्रस्ताव करनेवाले बैंक ही केवल रिज़र्व बैंक से प्राधिकरण के लिए संपर्क कर रहे थे। भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के पारित होने के परिणामस्वरूप, सभी ऐसे व्यक्ति जो पूर्वदत्त भुगतान प्रणालियों के जारी करने में निहित प्रणाली भुगतान को वर्तमान में परिचालित कर रहे हैं और वे, जो ऐसी प्रणालियों को परिचालित करने के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं, उन्हें प्राधिकरण के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करना होगा। उभरते परिदृश्य में, यह अनिवार्य है कि पूर्वदत्त भुगतान प्रणाली लिखतों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का एक ऐसा सेट हो जो बैंकों और गैर बैंकों के व्यक्तियों को शामिल करें ताकि देश में पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के सही विकास और परिचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन परिचालक मार्गदर्शी सिद्धान्तों को जारी किया है। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त देश में ऐसी भुगतान प्रणालियों के परिचालन के लिए मूल पात्रता मानदंड और शर्तें निधारित करते हैं।

2. परिभाषाएं

2.1 जारीकर्ता: व्यक्तियों/संगठनों को पूर्वदत्त भुगतान प्रणाली लिखतें जारी करनेवाली भुगतान प्रणालियों को परिचालित करनेवाले व्यक्ति। संग्रहित धन इन व्यक्तियों द्वारा रखा जाता है तथा वे ऐसे व्यापारियों को भुगतान करते हैं जो स्वीकृति की व्यवस्था का, सीधे अथवा निपटान व्यवस्था के माध्यम से, एक भाग हो।

2.2 धारक: ऐसे व्यक्ति/संगठन जो माल और सेवाओं की खरीद के लिए पूर्वदत्त प्रणाली लिखतें प्राप्त करते हैं।

2.3 पूर्वदत्त भुगतान लिखतें: पूर्वदत्त भुगतान लिखतें ऐसी भुगतान लिखतें हैं जो ऐसी लिखतों पर जमा मूल्य के बदले माल और सेवाएं खरीदने की सुविधा देती हैं। ऐसी लिखतों पर जमा मूल्य धारक द्वारा नकद रूप से, बैंक खाते में नामे डालकर अथवा क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान किये गये मूल्य को दर्शाता है।

पूर्वदत्त भुगतान स्मार्ट कार्ड, मॅग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, इंटरनेट एकाउंटस् इंटरनेट वॉलेट्स, मोबाइल एकाउंट्स, पेपर वाउचर और अन्य ऐसी किसी लिखत के रूप में जारी किया जा सकता है जो पूर्वदत्त राशि (इस के बाद सामूहिक रूप से भुगतान लिखत के रूप में उल्लेख किया गया है) प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

पूर्वदत्त भुगतान लिखतें जो देश में जारी की जा सकती हैं, उन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् (i) बंद प्रणाली भुगतान लिखत (ii) अर्ध-बंद प्रणाली भुगतान लिखत और (iii) खुली प्रणाली भुगतान लिखत

2.4 बंद प्रणाली भुगतान लिखत: ये ऐसी भुगतान लिखतें हैं, जो उसके द्वारा माल और सेवाओं की खरीद में सुविधा हो इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा जारी की जाती हैं। इन लिखतों में नकदी का आहरण अथवा प्रतिदान करने की अनुमति नहीं होती। चूंकि इन लिखतों में तीसरी पार्टी की सेवाओं के लिए भुगतान और निपटान की सुविधा नहीं होती, अत: ऐसी लिखतों के जारी करने तथा उसके परिचालन को भुगतान प्रणालियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

2.5 अर्ध-बंद प्रणाली भुगतान लिखतें: ये ऐसी भुगतान लिखतें हैं, जो भुगतान लिखतों को स्वीकार करने के लिए जारीकर्ता के साथ विशेष रूप से करार करनेवाले स्पष्ट रूप से पहचाने गये व्यापार स्थानों/संगठनों के समूह से प्रतिदान देने योग्य हैं। इसमें धारक को नकदी आहरण अथवा प्रतिदान की अनुमति नहीं होती।

2.6 खुली प्रणाली भुगतान लिखतें: ये ऐसी भुगतान लिखतें हैं जो माल और सेवाओं की खरीद के लिए कार्ड स्वीकारनेवाले किसी भी व्यापार स्थान (बिक्री टर्मिनल के पॉइंट) पर उपयोग में लायी जा सकती हैं। इस में एटीएम से नकदी आहरण की भी अनुमति है।

2.7 निवल स्वाधिकृत निधियाँ: इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के निहित अर्थों में 'निवल स्वाधिकृत निधि' में चुकता ईक्विटी पूंजी, नि:शुल्क नकदी आरक्षित निधि, शेयर प्रीमियम खाते में बकाया और आरक्षित पूंजी निधि जो आस्तियों की बिक्री के आय से उत्पन्न अधिशेष दर्शाती हैं, परंतु आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा उत्पन्न आरक्षित निधियों को नहीं दर्शातीं। अब तक परिकलित कुल राशियों से निवल स्वाधिकृत राशियां संचयित घाटे की बकाया राशि और गोचर आस्तियों के यदि कोई बही मूल्य हो तो, उसे घटाकर प्राप्त की जा सकेगी। निवल स्वाधिकृत निधि पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र के आधार पर परिकालित की जानी चाहिए और तुलन पत्र की तारीख के बाद जुटाई गई किसी भी पूंजी के आधार पर परिकलित नहीं की जानी चाहिए।

2.8 मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लिखित लिखतों के मूल्य में सभी 'सीमाएं' लिखतों का अधिकतम मूल्य दर्शाती हैं और वे लिखतें किसी भी धारक को जारी की जा सकती हैं।

3. पात्रता

3.1 ऐसे बैंक, जो पात्रता मानदंड का अनुपालन करते हैं, उन्हें सभी श्रेणियों की पूर्वदत्त भुगतान लिखतें जारी करने की अनुमति है।

3.2 केवल वही बैंक जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मोबाइल बैंकिंग लेनदेनों को प्रदान करने की अनुमति है, को मोबाइल आधारित पूर्वदत्त भुगतान लिखत (मोबाइल वॉलेट और मोबाइल खाते) प्रारंभ करने की अनुमति है।

3.3 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अन्य व्यक्तियों को केवल अर्धबंद प्रणाली भुगतान लिखतों को जारी करने की अनुमति दी जाएगी।

4. छूट

4.1 विदेशी मुद्रा पूर्वदत्त भुगतान लिखतें: विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत विदेशी मुद्रा पूर्वदत्त भुगतान लिखतों को जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों को और जहां ऐसे व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के सहभागियों के रूप में ऐसी लिखतें जारी करते हैं, उन्हें इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के शामिल क्षेत्र से छूट है। ऐसी भुगतान लिखतों का उपयोग अनुमत चालू खाता लेनदेनों तक ही सीमित रहेगा और समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली 2000 की शर्तों के अधीन रहेगा।

5. पूंजी आवश्यकताएं:

5.1 बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं, उन्हें पूर्वदत्त भुगतान लिखतों को जारी करने की अनुमति दी जाएगी।

5.2 सभी अन्य व्यक्तियों के पास न्यूनतम 100 लाख रुपये की चुकता पूंजी और सकारात्मक निवल स्वाधिकृत निधियां रहेंगी।

6. धन शोधन (केवाइसी/एएमएल/सीएफटी) के विरुद्ध रक्षोपाय के प्रावधान

6.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए समय-समय पर जारी केवाइसी/एएमएल/सीएफटी पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त यथोचित परिवर्तनों के साथ उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जो पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारी करते हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रणालियां स्थापित की जाएं।

6.2 क्रॉस बॉर्डर लेनदेनों के लिए पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी, केवल मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पैरा 4.1 में प्रदत्त भुगतान लिखतों के लिए दी जाएगी।

6.3 किसी भी पूर्वदत्त भुगतान लिखत के अधिकतम मूल्य (पैरा 9.2 के अनुसार अंतरिम राशि को शामिल करते हुए जहां विशिष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं की गई है) 50,000/- रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

6.4 ग्राहक के बारे में निम्नलिखित प्रकार समुचित सावधानी बरतने के बाद पूर्वदत्त भुगतान लिखतें जारी की जा सकती हैं।

i) 1000/- रुपये तक अर्ध-बंद प्रणाली भुगतान लिखतें ग्राहक द्वारा पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जारी की जा सकती हैं बशर्ते वार्षिक पण्यावर्त/संदिग्ध लेनदेनों की रिपोर्ट की गई हो। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी हालत में उसी जारीकर्ता द्वारा उसी धारक को एक से अधिक सक्रिय लिखत जारी नहीं की जाती।

ii) 5000/- रुपये तक की पूर्वदत्त भुगतान लिखतें धन शोधन रोधक अधिनियम के नियम 2 (डी) के तहत परिभाषित–'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करके जारी की जा सकती हैं। ऐसी लिखतों में नकदी के आहरण की अनुमति नहीं होगी।

iii) अर्ध-बंद भुगतान प्रणाली संबंधी लिखतें, जो केवल 10,000/-रुपये की सीमा तक के उपयोगिता बिलों/आवश्यक सेवाओं के भुगतान की अनुमति देती हैं, जारीकर्ता द्वारा किए जा रहे किसी केवाइसी के बिना जारी की जा सकती हैं। ऐसी लिखतों को जारी करनेवाले व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये लिखतें केवल संस्थानों, जो ग्राहकों की पूर्ण पहचान रखते हैं, में स्वीकार्य होती हैं। उपयोगिता बिलों/आवश्यक सेवाओं में केवल बिजली के बिल, पानी बिल, टेलीफोन/मोबाइल फोन बिल, बीमा प्रिमियम, रसोई गैस भुगतान, इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्शन, केबल/डीटीएच अंशदानों और सरकार अथवा सरकारी निकायों द्वारा नागरी सेवाएं शामिल होंगी।

iv) इन संस्थानों/कंपनियों द्वारा अर्ध-बंद भुगतान प्रणाली लिखतें अपने कर्मचारियों या अन्य हिताधिकारियों को भेजने के लिए जारी की जा सकती हैं। ऐसी भुगतान लिखतें जारी करने वाले व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे संस्थाएं/कंपनियां जिन्हें ऐसी भुगतान लिखतें जारी की गयी हैं, कर्मचारियों या हिताधिकारियों के संपूर्ण ब्योरे रखती हैं। संस्थानों/कंपनियों द्वारा जो भुगतान लिखतें जारी की सकती हैं उनका अधिकतम मूल्य 5000/- रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

6.5 पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों को जारी करनेवाले व्यक्तियों को इन लिखतों का उपयोग करते हुए सभी लेनदेनों का लॉग (हिसाब) रखना होगा। ये आंकड़े रिज़र्व बैंक द्वारा या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित की गयी किसी अन्य एजेन्सी/एजेन्सियों द्वारा संवीक्षा के लिए उपलब्ध होने चाहिए। ये

व्यक्ति वित्तीय खुफिया इकाई -भारत (एफआइयू-आइएनडी) को संदिग्ध लेनदेन संबंधी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।

7. संग्रहित धन का अभिनियोजन

7.1 पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों को जारी करके किसी भी समय जुटाया गया धन ज्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा, निधियों का आना- जाना भी काफी तेज़ हो सकता है। ऐसी लिखतों के प्रयोग से होनेवाले दावों का समय पर निपटान पर ही यह बात निर्भर करेगी कि जनता और व्यापारिक प्रतिष्ठान उनपर कितना भरोसा करते हैं। समय पर निपटान हो, यह देखने के लिए जारीकर्ता जमा किये गये धन का उसी तरह से ही निवेश करेंगे, जैसाकि यहां बताया गया है।

7.2 बैंकों द्वारा योजनाओं के लिए बकाया राशि प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए चलायी जानेवाली "निवल मांग और मीयादी देयताओं" के अंश के रूप में होंगी। इस स्थिति की गणना रिपोर्टिंग की तारीख के अनुसार बैंक की बहियों में दर्ज शेष राशियों के आधार पर की जाएगी।

7.3 भुगतान लिखतें जारी करनेवाले अन्य गैर बैंक व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन बकाया शेष राशि किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के पास **निलंब (एस्क्रो) खाते** में बनाए रखेंगे।

i) इस तरह से रखी गई राशि केवल सहभागी व्यापारिक प्रतिष्ठान को भुगतान करने के लिए उपयोग में लायी जाएगी।

ii) ऐसी शेष राशियों पर बैंक द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

iii) लेखा परीक्षकों से तिमाही प्रमाणपत्र यह सत्यापित करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा कि संस्था पर्याप्त जारी की गयी शेष राशि बनाये रखती रही है ताकि भुगतान लिखतों की बकाया मात्रा को कम कर सके।

iv) संस्था, लेखांकन वर्ष से मेल खाते हुए ऊपर बताये गये अनुसार एक वार्षिक प्रमाणपत्र भी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगी।

v) बैंकों के पास निलंब खातों में बनाए रखी गई शेष राशियों और साथ ही साथ बकाया लिखतों के मूल्य की दैनिक स्थिति दर्शाते हुए पर्याप्त रिकार्ड रिज़र्व बैंक अथवा बैंक, जहां मांग करने पर यह खाता बनाए रखा गया है, को संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

7.4 ऊपर बताये गये के अपवाद के रूप में संस्था राशि के "मुख्य हिस्से" को हस्तांतरित करने हेतु बैंक, जहां निलंब खाता बनाए रखा गया है, के साथ निम्नलिखित के अधीन एक अलग खाता जिस पर ब्याज देय है, के लिए समझौता कर सकती है :-

i) बैंक इस बात की संतुष्टि करेगा कि आवश्यक दस्तावेजों के यथोचित सत्यापन के बाद जमा की गई राशि "मुख्य हिस्से" के रुप में है।

ii) राशि को निलंब खाते से जोड़ दिया जाएगा अर्थात ब्याज खाते में रखी गई राशियां निलंब खाते में किसी कमी के मामले में संस्था की भुगतान संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक को उपलब्ध की जाएंगी।

iii) यह सुविधा उन व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य है जो कम-से-कम **एक वर्ष** से इस व्यवसाय में हैं और जिनके खातों की पूरे लेखांकन वर्ष के लिए विधिवत लेखा परीक्षा की गई है।

iv) ऐसी जमाराशियों की जमानत पर किसी ऋण की अनुमति **नहीं** है। बैंक इस रूप में रखी गयी किसी जमाराशि पर रसीद जारी नहीं करेंगे अथवा जमाराशियों के इस रूप में रखी गई राशि पर उनका कोई पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं होगा।

टिप्पणी - इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए "मुख्य हिस्से" की निम्नानुसार गणना की जाएगी-

चरण 1: पूर्ववर्ती माह से एक वर्ष (26 पखवाड़े) के लिए एक पखवाड़े (एफएन) के आधार पर न्यूनतम दैनिक बकाया शेष राशि (एल बी) की गणना की जाये।

चरण 2: न्यूनतम पाक्षिक बकाया शेष राशि के औसत की गणना की जाये [(एफएन1 का (एलबी 1 + एफएन 2 का एलबी 2 + ...+ एफएन 26 का एलबी 26) 26 द्वारा विभाजित)]

चरण 3: इस तरह से गिनी गयी औसत शेष राशि ब्याज पाने के लिए पात्र मुख्य हिस्से के रूप में होगी।

8. पूर्व-दत्त भुगतान संबंधी/लिखतों को जारी करना और पुनः लोड करना

8.1 पूर्वदत्त भुगतान संबंधी लिखतें जारी करने वाले सभी व्यक्तियों को पुन: लोड किए जा सकने वाले और पुन: लोड न किए जा सकने वाले पूर्वदत्त भुगतान लिखतों को जारी करने की अनुमति है।

8.2 बैंकों को अपनी शाखाओं और एटीएम में बैंक खाते/क्रेडिट कार्ड में नकदी/नामे द्वारा भुगतान पर ऐसे भुगतान लिखतों को जारी करने और उन्हें पुन: लोड करने की अनुमति दी जाती है। इस संबंध में बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्त अपने व्यावसायिक प्रतिनिधियों के माध्यम से ऐसी भुगतान लिखतें जारी करने और उनके पुन: लोड करने की भी अनुमति दी गई है।

8.3 अन्य व्यक्तियों को अपने प्राधिकृत निर्गमों अथवा एजेटों के माध्यम से बैंक खाता/क्रेडिट कार्ड पर नकदी/नामे द्वारा भुगतान पर ऐसी भुगतान लिखतें

निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी करने और उनके पुन: लोड करने की अनुमति दी जाएगी-

i) जारीकर्ता ऐसे लिखतों की बिक्री के लिए अधिकृत एजेंटों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में समुचित सावधानी बरतें।

ii) जारीकर्ता नियुक्त एजेंटों द्वारा जारी अपने सभी भुगतान लिखतों के लिए जिम्मेदार होंगे।

iii) पूर्व-दत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता अपने एजेंटों की भूल-चूक और कमीशन के लिए प्रमुख के रूप में जिम्मेदार होंगे।

iv) एजेंट के स्थानों पर नकदी के ज़रिये बिक्री/पुन: लोड करने के लिए प्रति सीमा ग्राहक 5000 रुपये के मूल्य के अधीन होगी।

9. वैधता

9.1 देश में जारी सभी पूर्व-दत्त भुगतान लिखतें एक्टीवेशन पर जारी करने की तारीख से छह माह की न्यूनतम अवधि के लिए वैध होगी।

9.2 गैर-पुनर्भरण पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों के मामले में धारक द्वारा खरीदे गए उसी जारी कर्ता को नए एक समान भुगतान लिखत के लिए भुगतान लिखत की समाप्ति पर बकाया राशि के अंतरण की अनुमति दी जाएगी।

9.3 जब तक भुगतान लिखत की वैधता की समाप्ति के संबंध में कम-से-कम 15 दिन पहले धारक को सावधान नहीं किया जाता, किसी भुगतान लिखत पर बकाया शेष राशि को जब्त नहीं किया जाएगा।

10. मोचन

10.1 यदि लिखत पर पर्याप्त बकाया शेष राशि हो तो ऐसी लिखतों के जारीकर्ता अनुमोदित स्थानों पर, भुगतानों/धन अंतरण के लिए ग्राहक के अनुदेशों का अनादर नहीं करेंगे।

10.2 यदि किसी भी कारणवश योजना समाप्त की जा रही हो या उसे बंद किए जाने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश दिए गए हों तो पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों के धारकों को समाप्ति की तारीख के भीतर बकाया शेष राशि के मोचन की अनुमति दी जाएगी।

10.3 जहां उपर्युक्त 10.2 के अनुसार मोचन की अनुमति हो, वहां मोचन मूल्य लिखत की बकाया राशि या अंकित मूल्य (लोडिंग सीमा से) अधिक नहीं होगा।

11. धोखाधड़ी रोकना और सुरक्षा मानक

11.1 धोखाधड़ी रोकने और उसका पता लगाने के लिए पूर्व-दत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता समुचित सूचना और डाटा सुरक्षा संबंधी मूलभूत ढांचे का प्रबंध करेंगे। यह उचित होगा कि जारीकर्ता द्वारा केन्द्रीकृत डाटाबेस बनाया जाये ताकि विभिन्न स्थानों पर की जाने वाली भिन्न-भिन्न खरीदों को रोका जा सके जिससे इस प्रकार की भुगतान लिखतों के लिए निर्धारित सीमाओं, यदि कोई हो, के उल्लंघन से बचा जा सके।

12 ग्राहक सुरक्षा संबंधी मामला

12.1 सभी पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों के जारीकर्ता सभी महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों को स्पष्ट एवं सरल भाषा में (हो सके तो अंग्रेजी, हिंदी या अन्य स्थानीय भाषा में) जो धारकों की समझ में आए, लिखतों को जारी करते समय बतायेंगे। इन बातों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :

i) लिखत के प्रयोग से संबंधित सभी प्रभार एवं शुल्क

ii) लिखत की समापन अवधि और उस की समाप्ति से संबंधित नियम एवं शर्तें

iii) ग्राहक सेवा से संबंधित दूरभाष संख्याएं और वेबसाइट का यूआरएल

12.2 पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों को जारी करनेवाली संस्था द्वारा ग्राहक की शिकायत के निवारण के लिए प्रभावी तंत्र बनाया जायेगा।

12.3 बैंकों द्वारा जारी पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों के मामले में ग्राहकों को शिकायत निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की पहुंच की सुविधा होगी।